



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या - 8208 वर्ष 2025

मेसर्स एक्सेल व्हीकल्स (माय ऑटो वर्ल्ड कानपुर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आकाशी अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., धनंजय अवस्थी, सुदर्शन सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15.01.2026 के आदेश द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद, यह मामला इस न्यायालय के समक्ष है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल और उनके साथ विद्वान अधिवक्ता श्री आकाशी अग्रवाल, तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की ओर से श्री धनंजय अवस्थी की दलीलें सुनी गईं। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से एएसजीआई द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया है।

3. दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से यह बयान दिया है कि वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।

4. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता, मेसर्स एक्सेल व्हीकल्स (माय ऑटो वर्ल्ड कानपुर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत है और टाटा ब्रांड के मोटर वाहनों की बिक्री, खरीद और बिक्री पश्चात सेवा के लिए पंजीकृत डीलर है तथा तनिसक शोरूम का भी मालिक है। याचिकाकर्ता के अनुसार, जुलाई 2017 से मार्च 2023 की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि से संबंधित याचिकाकर्ता के परिसर में एक लेखापरीक्षा निरीक्षण किया गया था। मूल रूप से, आपतियां विभिन्न अवधियों के लिए फॉर्म GSTR-1 और फॉर्म GSTR-3B को देर से दाखिल करने, अपंजीकृत इकाई के माध्यम से किराए का भुगतान करने और रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत GST का भुगतान न करने आदि से संबंधित थीं। याचिकाकर्ता ने कुछ कमियों को महसूस किया और स्वेच्छा से फॉर्म GST DRC-03 के माध्यम से 2,49,98,532/- रुपये की राशि जमा करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने शेष मांग के संबंध में देयता पर विवाद किया और लेखापरीक्षा दल को उचित उत्तर प्रस्तुत किया। इसके बाद, 01.08.2024 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें विभिन्न मांगें प्रस्तावित की गईं। कारण बताओ नोटिस में, याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2021, 2023 और 2024 में जमा की गई राशि का संज्ञान लिया गया। याचिकाकर्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने जमा की गई राशि पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उस पर 1,43,22,790 रुपये का बकाया ब्याज है। याचिकाकर्ता ने 10.10.2024 को कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, हालांकि, 18.12.2024 को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस आपति को खारिज कर दिया गया।

5. दिनांक 18.12.2024 के आदेश से व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ताओं ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् आयुक्त अपील (जीएसटी) इलाहाबाद के समक्ष जीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील दायर की। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अपील ज्ञापन में उन्होंने 21.06.2021 और 22.06.2021 को डीआरसी चालान के माध्यम से जमा की गई क्रमशः 8,6,52,470/- रुपये और 17,00,000/- रुपये की राशि का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जो मूल आदेश में दर्ज 2,49,88,532/- रुपये की मांग के लिए थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 2,56,62,470/- रुपये की राशि, जिसका मिलान किया जाना आवश्यक था और जिसे मूल आदेश में आवंटित नहीं किया गया था, उसे अधिनियम की धारा 107(6) के तहत पूर्व-जमा राशि माना जाना चाहिए। यद्यपि अपील विलंब से दायर की गई थी, फिर भी उसे क्षमा कर दिया गया। हालांकि, 16.10.2025 को, अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी और केंद्रीय आयुक्त कार्यालय, कानपुर के दिनांक 18.12.2024 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता जीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) के तहत निर्धारित पूर्व-जमा राशि जमा करने में विफल रहा था।

6. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि अपीलीय आदेश किसी भी क्षण मान्य नहीं हो सकता, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता ने अपनी अपील के ज्ञापन में पूर्व-जमा राशि से अधिक दी गई कुछ राशियों के संबंध में पहले ही खुलासा कर दिया था और विशिष्ट आंकड़े दिए थे, जिन्हें जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया और उन पर विचार नहीं किया गया। उनका निवेदन है कि यद्यपि धारा 107(6) स्वयं यह प्रावधान करती है कि उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर राशि, ब्याज, फाइल, शुल्क और जुर्माने की वह राशि पूरी तरह से अदा न कर दी हो जिसे उसने स्वीकार किया है और उक्त आदेश से उत्पन्न आक्षेपित कर की शेष राशि के 10% के बराबर राशि अदा न कर दी हो, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही 86,52,470/- रुपये और 17,00,000/- रुपये जमा कर दिए हैं, इसलिए उक्त राशि को अपील की स्वीकार्यता के प्रयोजनों के लिए पूर्व-जमा के रूप में समायोजित और माना जाना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **वीवीएफ (इंडिया लिमिटेड) बनाम महाराष्ट्र राज्य: सिविल अपील संख्या 7387/2021** दिनांक 03.12.2021 के फैसले पर भरोसा जताते हुए यह तर्क दिया गया है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) के अंतर्गत निहित समान प्रावधान, महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 की धारा 26(6ए) पर भी विचार किया गया था, जिसमें मूल्यांकन से पहले की गई किसी भी पूर्व-जमा राशि को अपील दाखिल करने के प्रयोजन के लिए पूर्व-जमा राशि माना गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 11.07.2004 के परिपत्र से भी बल प्राप्त किया गया है। अतः निवेदन है कि चुनौती दिए गए आदेश को रद्द किया जाए और अपील को सक्षम मानते हुए गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाए।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित श्री धनंजय अवस्थी ने कहा है कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क का कोई आधार नहीं है। उनका कहना है कि अपील दायर करने से पहले जमा की गई कोई भी राशि अधिनियम की धारा 107(6) के तहत पूर्व-जमा के रूप में नहीं गिनी जाएगी। उनका कहना है कि उक्त राशि अन्य मदों से संबंधित है और इसे पूर्व-जमा के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

9. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सभी तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. तथ्य आक्षेपित हैं। यह आक्षेपित नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रतिष्ठान के जुलाई 2017 से मार्च 2023 तक के अभिलेखों का लेखापरीक्षा हुआ और याचिकाकर्ता ने प्राप्ति के बाद फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से स्वतः कुछ जमा किए। 01.08.2024 को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसका उत्तर 10.10.2024 को दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपील ज्ञापन में दिनांक 21/22.06.2021 के डीआरसी चालान के माध्यम से 86,52,470/- रुपये और 17,00,000/- रुपये जमा करने का खुलासा किया है, जो मूल आदेश में उठाए गए 2,49,88,532/- रुपये की मांग के विरुद्ध है, और प्रस्तुत किया है कि मूल आदेश में इस राशि का मिलान और विभाजन अधिनियम की धारा 107(6) के तहत पूर्व-जमा के रूप में माना जाना आवश्यक है। हालाँकि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 107(6) के तहत आवश्यक पूर्व-जमा राशि जमा करने के संबंध में याचिकाकर्ता के उक्त दावे को अपील खारिज करते समय अस्वीकार कर दिया गया था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107(6) इस प्रकार है:

“उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने भुगतान न कर दिया हो- (क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और दंड की राशि का वह भाग, जिसे उसने स्वीकार किया है, पूर्ण रूप से; और (ख) उक्त आदेश से उत्पन्न आक्षेपित कर की शेष राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि, [अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अधीन,] [अधिनियम संख्या 31, 2018, दिनांक 29.8.2018 द्वारा सम्मिलित] जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।”

11. अधिनियम की धारा 107(6) को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, शुल्क और जुर्माने की राशि का पूरा भुगतान न कर दिया हो, जैसा कि उसे प्रस्तुत किया गया है, और उक्त आदेश से उत्पन्न आक्षेपित कर की शेष राशि के 10% के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया हो, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

12. पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा स्वतःस्फूर्त रूप से की गई उक्त जमा राशि को पूर्व-जमा माना जा सकता है या नहीं। उक्त मुद्दे की जांच करने के लिए, महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 में क्या प्रावधान हैं? एमवीएटी अधिनियम की धारा 26(6ए) इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"(6ए) महाराष्ट्र कर कानून (लेवी, संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 2017 (महा XXXI ऑफ 2017) के प्रारंभ होने के बाद पारित किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि उसके साथ निम्नलिखित राशियों के कुल योग के भुगतान का प्रमाण संलग्न न हो, जैसा लागू हो।"

13. अधिनियम की धारा 107(6) को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 की धारा 26(6ए) के साथ मिलाकर पढ़ने से पता चलता है कि प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं। महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 की धारा 26(6ए) के अंतर्गत निहित प्रावधानों पर विचार किया गया, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुद्दे के समान एक मुद्दे पर विचार किया गया, और उसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

"11. प्रतिद्वंद्वी दलीलों का विश्लेषण करते समय, प्रारंभ में यह ध्यान देना आवश्यक है कि धारा 26(6ए) के प्रावधानों के तहत, प्रावधान के उपखंडों में निर्धारित राशियों का कुल योग जमा करना होता है और अपील दाखिल करते समय भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। खंड (ख) और (ग) दोनों में "अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित कर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अआक्षेपित राशि की संपूर्ण राशि जमा करनी होती है और आक्षेपित कर राशि का 10 प्रतिशत अपीलकर्ता द्वारा जमा करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कर मांग की संपूर्ण राशि पर विवाद करता है। परिणामस्वरूप, कानून की स्पष्ट भाषा के अनुसार, आक्षेपित कर की संपूर्ण राशि का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। धारा 26(6ए) के अनुसार कर देयता जमा करनी होगी। मूल्यांकन आदेश से पहले अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को, इस संबंध में वैधानिक भाषा के अभाव में, विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। करधान कानून की व्याख्या सख्ती से और शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के निहितार्थ की गुंजाइश नहीं है।

14. उपरोक्त उद्धृत निर्णय को सरसरी तौर पर देखने से पता चलता है कि माननीय एपक्स न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कानून प्रतिपादित किया है कि कानून की भाषा को सीधे पढ़ने पर, आक्षेपित कर देयता का 10% प्रभारण धारा के अनुसार जमा करना होगा और अपीलकर्ता द्वारा उसमें जमा की गई राशि और मूल्यांकन आदेश से पहले की अवधि को, इस संबंध में वैधानिक भाषा के अभाव में, विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का दिनांक 11.07.2004 का परिपत्र भी उक्त मुद्दे पर प्रकाश डालता है। खंड 7.2 इस प्रकार है:

"7.2 तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां संबंधित करदाता ने फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किसी विशेष मांग के भुगतान के लिए निर्धारित राशि का भुगतान किया है और कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03ए में आवेदन प्रस्तुत किया है, तो फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से भुगतान की गई और सूचित की गई राशि को उक्त मांग के लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से ऐसी सूचना की तिथि पर भुगतान किया गया माना जाएगा। भुगतान की गई राशि को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और धारा 112 के तहत पूर्व-जमा के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाएगा, यदि और जब करदाता उक्त मांग के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करता है, जैसा कि उपरोक्त पैरा 4 में उल्लेख किया गया है, और निर्णय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुसार पुष्ट मांग की शेष राशि धारा 107 की उपधारा (6) और धारा 112 की उपधारा (9) के प्रावधानों के अनुसार स्थगित रहेगी। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 112 के अनुसार। हालांकि, यदि करदाता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और धारा 112 में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दाखिल नहीं करता है, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (कठिनाइयों का नौवां निवारण) आदेश, 2019 दिनांक 03.12.2019 के साथ पढ़ा जाए, तो मांग की शेष राशि कानून के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाएगी।"

15. परिपत्र के उद्धृत भाग, खंड 7.2 में ही यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार भुगतान की गई राशि को सीजीएसटी की धारा 107 और धारा 112 के तहत पूर्व-जमा के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, न्यायालय पाता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है कि किस आधार पर मूल्यांकन से पहले जमा की गई राशि को पूर्व-जमा नहीं माना गया है। विचाराधीन आदेश पूरी तरह से मौन है और एक ही झटके में, पहले से जमा की गई राशि को लागू नहीं माना गया है और उसे पूर्व-जमा के रूप में माना गया है।

16. किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलीय प्राधिकरण की ओर से कुछ और किया जाना आवश्यक था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. इस स्तर पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल ने निवेदन किया कि मूल्यांकन से पहले ही पर्याप्त राशि जमा की जा चुकी है, जिसे पूर्व-जमा के रूप में आंका जा सकता है, अतः अपील पर निर्धारित समय सीमा के भीतर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

18. इस निवेदन पर श्री अवस्थी को कोई आपत्ति नहीं है। उनके अनुसार, पूर्व-जमा के संबंध में कोई आपत्ति उठाए बिना अपील पर तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

19. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निर्णय लिया जा रहा है:

(क) आयुक्त (अपील), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.10.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) मामले को प्राधिकरण को वापस भेजा जाता है ताकि वह जीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) के तहत किसी भी पूर्व-जमा पर जोर दिए बिना तीन माह की अवधि के भीतर गुण-दोष के आधार पर अपील का निर्णय ले।

20. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

21. चूंकि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता कर रहे हैं और विभाग का प्रतिनिधित्व भी उसके अधिवक्ता कर रहे हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि उन्हें आज पारित आदेश की पूरी जानकारी है। श्री राहुल अग्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं (जो अपीलकर्ता हैं) के निर्देशों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष बयान दिया है और इसलिए कोई स्थगन नहीं लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।